

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

:: शुद्धि-पत्र ::

अ0सं0-9/प्र0-02-01/2014, सा0प्र0 ...../पटना-15,दिनांक.....

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या- 16662 दिनांक 15.12.2016 के क्रमांक-25 के स्तम्भ-5 में अंकित राज्य उपभोक्ता आयोग के स्थान पर राजस्व पर्षद पढ़ा जाय।

2. यह आदेश दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी होगा।
3. शेष यथावत रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/प्र0-02-01/2014, सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/प्र0-02-01/2014, सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....


प्रतिलिपि- सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/राजस्व पर्षद, बिहार./संबंधित नव प्रोन्नत प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/प्र0-02-01/2014, सा0प्र0 14392/पटना-15, दिनांक 30-12-16..

प्रतिलिपि-ई0 गजट कोषांग (वित्त विभाग), बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सी0डी0 के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।